



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
मुख्य आयुक्त का कार्यालय

Office of the Chief Commissioner
केन्द्रीय माल, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सी.सी.ओ.)

Central Goods, Service Tax & Central Excise (CCO)

केन्द्रीय राजस्व भवन (एनेक्सी), वीर चन्द पटेल पथ, पटना -800 001

Central Revenue Building (Annexe), Bir Chand Patel Path, Patna-800 001

विद्युदावधिक डाक पहचान पता /Email: ccu-cexranchi@nic.in ☎ 0612-2504246



स्थापना आदेश सः:42/ 2024

दिनांक: 13.05.2024

सीजीएलई-2023 के परिणाम के आधार पर चयनित और सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स., रांची प्रक्षेत्र, पटना को आवंटित नवनियुक्त निरीक्षक के योगदान के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित आयुक्तालय आवंटन का आदेश तत्काल प्रभाव से व अगले आदेश तक दिया जाता है: -

Consequence upon joining of newly recruited Inspector selected on the basis of result of CGLE—2023 and allocated CGST & CX, Ranchi Zone, Patna. The following Commissionerate allocations is hereby ordered with immediate effect and until further orders: -

Sl. No.	Name [S/Shri]	D.O.B.	Date of Joining	Purposed Comms'
1.	Tarun Singh	17-Aug-1999	03.05.2024	CGST & CX, Ranchi

उपर्युक्त अधिकारी को उनके आवंटन के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश के साथ दिनांक 13.05.2024 (अप.) से विरमित किया जाता है।

The above mentioned officers are hereby relieved with effect from 13.05.2024 (A/N) with direction to join their new place of allocation.

यह मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी एवं सीएक्स, रांची प्रक्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with the approval of the Chief Commissioner, CGST & CX, Ranchi Zone.

ह/-

अपर आयुक्त (सी.सी.ए.)

C.No. GCCO/II/31/35/2023-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-RANCHI/5525-5535 Dated :13.05.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित/Copy forwarded for information and necessary action to: -

1. श्रीमान उपरोक्तानुसार, निरीक्षक।
2. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीएक्स, रांची प्रक्षेत्र, पटना के निजी सहायक;
3. (प्र.) आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीएक्स, रांची;
4. मुख्य लेखा अधिकारी, सीजीएसटी एवं सीएक्स, पटना-I/ रांची;;
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीजीएसटी एवं सीएक्स, रांची;
6. महासचिव, अखिल भारतीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संघ, बिहार और झारखंड इकाई;
7. अधीक्षक (गोपनीय), सीजीएसटी एवं सीएक्स, रांची प्रक्षेत्र, पटना;
8. अधीक्षक (आईटी), सीसीओ, जोनल वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के अनुरोध के साथ;
9. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

अपर आयुक्त (सी.सी.ए.)